न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला – खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 17/2024

तारीख दायर 07/05/2024

तारीख फैसला 12/08/2024

उनवान

01. शेरसिंह पुत्र स्व. श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज)

––––:: प्रार्थी

बनाम

01. उदयचन्द पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज)
02. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज)।

––––––:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री जीतराम चौधरी ,एडवोकेट प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है प्रार्थी कि हाल आराजी खसरा नंबर 453 रकबा 0.0800है0 वाके ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज.) में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 453 रकबा 0.0800है0 मिन प्रार्थी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है, जिसका हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम का अमल दरामद हो रहा है। प्रार्थी की उक्त कब्जेकाश्त खोदारी की आराजी से अप्रार्थी सं. 01 का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है। अपितु अप्रार्थी सं. 01 गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी है। प्रार्थी का उपरोक्त आराजी से लगती हुई भूमि अप्रार्थी सं. 1की है, जो आराजी खसरा नं. 452 है, जिसमें अप्रार्थी सं. 01 का 1/4हिस्सा है।मिन प्रार्थी की उपरोक्त आराजी खसरा नंबर व अप्रार्थी सं. 01 के हिस्से की आराजी खसरा नंबर के बीच मे डौल है, जिस डौल को अप्रार्थी सं. 01 आये रोज बदनियती से तोडकर मिन प्रार्थी के आराजी खसरा नं. 453 को आराजी खसरा नं. 452 मे निहित अपने हिस्से की आराजी मे मिलाने की कुचेष्टा में है तथा धमकी देता है कि उक्त डौल को तोडंकर मिन प्रार्थी की तन्हा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी को अपने हिस्से की आराजी मे मिलाकर रहूंगा।अप्रार्थी सं. 01 द्वारा की जा रही रही कुचेष्टा के कारण मिन प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार साहब ति[illegible] अपनी आराजी खसरा नंबर 453 का सीमाज्ञान कराने के लिए निवेदन किया, जिस पर तहसीलदा[illegible] साहब [illegible]जारा के आदेश दिनांक 26.04.2022 की पालना मे हल्का पटवारी खलीलपुरी ने मौके पर जाकर हा[illegible] आराजी खसरा 453 रकबा 0.0800है0 वाके खलीलपुरी तहसील तिजारा का मौका प[illegible] मौका पर्चा रिपोर्ट पर मिन प्रार्थी व वहां उपस्थित मानसिंह के हस्ताक्षर करवाकर, हल्का प[illegible] ने अपने हस्ताक्षर क[illegible] पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.05.2022 तैयार कर श्रीमान तहसीलदार साहब तिजारा के समक्ष पेश कर दी। अप्रार्थी सं. 1 लडाका, झगडालू किस्म का व्यक्ति है, जो कानूनन कायदे की परवाह नही करता है और आये दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करता रहता है व प्रार्थी की उक्त आराजी के साथ लगती हुई अपनी आराजी की आड में मिन प्रार्थी की भूमि में मजाहमत एंव मदाखलत पैदा करता रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

(2)

र्थी स. 01 ने अब दिनांक 01/05/2024 को गिन प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की आराजी मे मजाहमत व मदाखलत पैदा की एंव आराजी की डौल को तोडकर अपने हिस्से की भूमि में मिलाने का प्रयास किया तथा जो सीमाज्ञान किया गया था, उसको अपने खसरा नंबर मे जबरन हडप करने की नियत से गैरकानूनी तरीके से सीमाज्ञान को मिटा दिया है, जबकि अप्रार्थी सं. 01 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। गिन प्रार्थी ने मौके पर आकर 'अप्रार्थी सं. 01 ने ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि तुम्हारी आराजी की डौल को मिसमार कर तुम्हारे हिस्से की भूमि को अपने हिस्से की आराजी मे मिलाउगां, इसलिए प्रार्थी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नंबर 453 रकबा 0.0800है0 मे पत्थर–गढी कराना चाहता है। उक्त आराजी खसरा नं. 453 रकबा 0.0800है0 का गिन प्रार्थी काबिज रिकॉर्डेड खातेदार है, इसलिए अपने हकूको की रक्षार्थ जो कानूनन सुरक्षित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के लिये विनायेवादी, विनाये मुखासमत दिनांक 26/04/2024 मौका पर्चा व दिनांक 01/05/2024 को अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्रार्थी की आराजी में घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर डौल मिसमार करने से उत्पन्न हुई है, जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण निम्न प्रकार स्वीकार फरमाया जावे कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 453 रकबा 0.0800है0 वाके ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज) मे स्थित प्रार्थी की उक्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड डिजीटल नक्शा अनुसार पत्थरगढी कराई जावे। अप्रार्थी सं 01 को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा 453 रकबा 0.0800है0 स्थित वाके ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज) मे गिन प्रार्थी के कब्जेकाश्त मे मजामहत व मदाखलत पैदा ना करे, बाद पत्थरगढी के पत्थरो को उखाडे, ना ही डौल तोडै ना ही कब्जा कर अपनी भूमि मिलावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को नोटिस किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बाद तामील अनुपस्थित एंव अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार तिजारा ने बाद तामील जवाब पेश नही करने पर जवाब अवसर समाप्त किया जाकर उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 29.05.2022 के अनुसार हाल वो आराजी खसरा 453 रकबा 0.0800है0 स्थित वाके ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज) की पत्थरगढी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested